राजस्थान राजपत्र

Regd. No. RJ. 2539.

RAJASTHAN GAZETTE

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 7, गुरुवार, शाके 1907–अगस्त 29, 1985

Bhadra 7, Thursday, Saka 1907—August 29, 1985

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम ।

REVENUE (Gr. VIII) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, May, 17, 1985

G.S.R. 38:—In exercise of the powers conferred by section 41 and 42 of the Rajasthan Forest Act, 1953 (Rajasthan Act No. XIII of 1953), the State Government makes the following amendment in the Rajasthan Forest Produce (Establishment and Regulation of Saw Mills) Rules, 1983, namely :—

AMENDMENT

1. In clause (a) of rule 2 of the said rules the expression "thereof up to a distance of 100 m. around it" shall be deleted.

2. In rule 3 of the said rules:—

(a) for the existing clause (iii) the following shall be substituted, namely :—

"(iii) No owner of a Saw Mill in respect of whom the licence has been cancelled or suspended under rule 7 shall carry on sawing operation in that mill after the cancellation or suspension as the case may be during the period for which the licence has been cancelled or suspended.

To give effect to the provisions of this clause the licensing officer shall take such steps which he thinks necessary in this regard, including sealing of Saw Mill with or without its, accessories to stop sawing Operation."

3. In rule 8 of the said rules, the figure and bracket "(i)" shall be deleted and for the existing proviso, the following shall be substitued, namely:—

"Provided, that where it is not proposed to cancel or suspend the licence, the licensing officer may

(i) Forfeit the unaccounted timber,

(ii) and or impose a penalty of Rs. 500/- upto Rs. 1000/-, and

upto Rs. 2000/- for 1st, 2nd and for subsequent default.

4. In rule 10 of the said rules, the expression "not below the rank of a Ranger" after the words "Forest Officer" and before the words "or the Licensing Officer" shall be inserted.

5. For the existing rule 11 of the said rules the following shall be substituted, namely:—

"RECORDS BY THE SAW MILL OWNER.

Every owner of a Saw Mill shall maintain records in schedule A and B appended to these rules."

6. In rule 13 of the said rules,

(1) In clause (b) of sub-rule (i), for the words "upto two thousand rupees" the words and figures "upto Rs. 500/- for the first default, upto Rs. 1000/- for the second default and upto Rs. 2000- for each subsequent default" shall be substituted.

(2) In sub-rule (ii), for the expression "two hundred rupees for every day during which such contravention continues" the expression Rs. 1000/- for the second default and Rs. 2000/- for subsequent defult shall be substituted.

(3) In clause (b) of sub-rule (iii) of the Saw Mill rules, punctuation mark and word, "returned". shall be deleted.

7. In from 2 appended to the said rules, condition No. 1, shall be substituted by the following:—

"1. This permit shall be valid with effect from the date of its issue."

8. The existing Schedules 'A' and 'B' appended in rule 11 shall be substituted by the following new schedules:—

(a) Daily Register for Job-work schedule A,.

(b) Stock Register Schedule B.

Schedule 'A'

DAILY REGISTER FOR JOB WORKS
(*See Rule* 11)

S. No.	Date	Name and address of customer	Certificate of Ownership		Quantity timber sawn		Material received back by the customer		Wastage datailed	Signature of the customer
			T.P. No. & date with detail of its issue	Bill No. & date of authorised dealer	Cubic Metre	Qtl.	Cub. Mtrs.	Qtl.	Quintals	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schedule 'B'

STOCK REGISTER
(*See Rule* 11)

S. No.	Date	Previous Balance		Wood received		Total		Material disposed off		Balance in hand	
		Raw material	Finished product	Raw material	Finished product	Raw material	Finished product	Raw material	Finished product	Raw material	Finished producsts
1	2	(a) 3	(b)	(a) 4	(b)	(a) 5	(b)	(a) 6	(b)	(a) 7	(b)

Note:—The raw material i.e. round wood and waste shall be shown in quintals and the finished product shall be shown in cubic metres.

[*No. F.* 10 (17)*Rev. Gr.* 8/82]
By Order of the Governor,
बी. के. रस्तोगी,
Dy. Secretary to Government.

राजस्व (ग्रुप-VIII) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 17, 1985

जी. एस. आर. 38 :--राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 13) की धारा 41 तथा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान वन उपज (आरा मिलों की स्थापना तथा विनियमन) नियम, 1983, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

संशोधन

1. उक्त नियमों के नियम 2 के खण्ड (क) में अभिव्यक्ति "100 मीटर की दूरी के भीतर का उनका" लोपित की जायेगी।

2. उक्त नियमों के नियम 3 में:--

(क) विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:--

"(iii) आरा मिल का कोई भी स्वामी जिसकी अनुज्ञप्ति नियम 7 के अधीन रद्द या निलम्बित कर दी गई है, ऐसी कालावधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति रद्द या निलम्बित, कर दी गई है, के दौरान, ऐसे रद्द करण या निलम्बन, यथास्थिति, के पश्चात् चिराई का कार्य नहीं करेगा।

इस खण्ड के उपबन्धों को प्रभावी बनाने हेतु अनुज्ञापन अधिकारी ऐसे कदम उठायेगा जो वह इस संबंध में आवश्यक समझे, जिसमें चिराई के कार्य को बन्द करने हेतु इसके उप-साधनों सहित या उनके बिना आरा मिल को सील करना भी सम्मिलित है।"

3. उक्त नियमों के नियम 8 में अंक तथा कोष्ठक "(i)" लोपित किया जायेगा तथा विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--

"परन्तु यदि अनुज्ञप्ति को रद्द करने या निलम्बित करने का प्रस्ताव न हो तो अनुज्ञापन अधिकारी--

(i) हिसाब में नहीं ली गई लकड़ी को समपहृत कर सकेगा,

(ii) और या प्रथम, द्वितीय तथा पश्चात्वर्ती व्यतिक्रम के लिए 500/- रु., 1000/- रु. तथा 2000/- रु. तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

4. उक्त नियमों के नियम 10 में शब्दों "वन अधिकारी" के पश्चात् तथा शब्दों "या अनुज्ञापन अधिकारी" के पूर्व अभिव्यक्ति "जो रेंजर की पंक्ति से नीचे का न हो" अन्तःस्थापित की जायेगी।

5. उक्त नियमों के विद्यमान नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--

"आरा मिल के स्वामी द्वारा अभिलेख रखा जाना:--आरा मिल का प्रत्येक स्वामी इन नियमों से संलग्न अनुसूची "क" और "ख" में अभिलेख संधारण करेगा।"

6. उक्त नियमों के नियम 13 में,

(1) उप नियम (i) के खण्ड (ख) में शब्दों "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द तथा अंक "प्रथम व्यतिक्रम के लिए रु. 500।-, द्वितीय व्यतिक्रम के लिए रु. 1000।- तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती व्यतिक्रम के लिए रु. 2000।- तक" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(2) उप-नियम (ii) में अभिव्यक्ति "लगातार उल्लंघन करते रहने के मामले में अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे उल्लंघन के क्रम के दौरान दो सौ रूपये प्रतिदिन हो सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "द्वितीय व्यतिक्रम के लिए रु. [illegible]000।- तथा पश्चात्वर्ती व्यतिक्रम के लिए रु. 2000।- "प्रतिस्थापित की जायेगी।

(3) आरा मिल के नियमों के उप-नियम (iii) के खण्ड (ख) में विराम चिन्ह तथा शब्द "विवरणी" लोपित किये जाएंगे।

7. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 2 में शर्त सं. 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जायेगी :—

"1. यह अनुज्ञा-पत्र इसके जारी होने की तारीख से विधिमान्य होगा।"

8. नियम 11 में संलग्न विद्यमान अनुसूचियां "क" तथा "ख" के स्थान पर निम्नलिखित नई अनुसूचियां प्रतिस्थाति की जायेंगी :—

(क) जाब-वर्क हेतु दैनिक रजिस्टर, अनुसूची–क

(ख) स्टाक रजिस्टर, अनुसूची–ख

अनुसूची "क"

आरा-वर्क हेतु दैनिक रजिस्टर
(देखिये नियम 11)

क्र. सं.	दिनांक	ग्राहक का नाम व पता	स्वामित्व का प्रमाण-पत्र		चीरी गई लकडी की मात्रा		ग्राहक द्वारा वापस		दुर्व्यय का ब्यौरा	ग्राहक के हस्ताक्षर
			टी. पी. सं. तथा तारीख तथा उसके जारी करने के ब्यौरे	प्राधिकृत व्यवहारी की बिल सं. तथा तारीख	घन मीटर	क्विंटल	घन मीटर	क्विंटल	क्विंटल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अनुसूची "ख"

स्टाक रजिस्टर
(देखिये नियम 11)

क्र.सं.	दिनांक	पिछला अतिशेष		प्राप्त लकडी		योग		निपटाया गया माल		अतिशेष	
		कच्चा माल (क)	परिष्कृत उत्पाद (ख)	कच्चा माल (क)	परिष्कृत उत्पाद (ख)	कच्चा माल (क)	परिष्कृत उत्पाद (ख)	कच्चा माल (क)	परिष्कृत उत्पाद (ख)	कच्चा माल (क)	परिष्कृत उत्पाद (ख)
1	2	3		4		5		6		7	

टिप्पण :—कच्चा माल अर्थात् गोल लकडी तथा अवशिष्ट, क्विंटल में दर्शित की जायगी तथा परिष्कृत उत्पाद घन मीटर में दर्शित किया जाएगा ।

[संख्या एफ. 10 (17) रेव.जी.आर. 8।82]
राज्यपाल के आदेश से,
वी. के. रस्तोगी,
उप शासन सचिव ।